



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 505331

(प्रारूप- "ब")

प्रदेश में स्थित सोसाइटी/ट्रस्ट जिसके द्वारा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही हैं अथवा सत्र 2023.24 से संचालित किये जाने का प्रस्ताव है के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये जाने वाला नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप:-

हम रामप्रताप यादव, एव विशाल प्रताप यादव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव बैजनाथ रामनरेश इस्ट्रीटगुट ऑफ टेक्नोलाजी शोध एवं प्रशिक्षण ट्रस्ट शपथपूर्वक निम्नवत दयान करते हैं।-

NOTARY

यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

अ.....

ब.....

स.....

द.....

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है।-



क्रम संख्या	पता	गाटा संख्या	भूमि का रकबा	भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5
★	काजीपुर	612	1473.68 हे०	1473.68 हे०
2				

क्रमांक १६६२
स्टाम्प विक्रेता की विधि..... २०१३
स्टाम्प का कलम का प्रयोजन.....
स्टाम्प के दाहिने कोने का नाम व पूरा पता...
स्टाम्प की धन राशि.....

100

हरिवंश चौबे स्टाम्प विक्रेता
ला0 न0-43 चिरियाकोट
तह0-मुअमरबाद गोलना, मऊ

Handwritten signature and scribbles.

कोषागार - मऊ
TR-4
दिनांक - 6 JUL 2023
स्टाम्प
BR.T.O.
Mau

सुख प्रसाद

Handwritten signature 'SINGH' inside an oval.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

3. यह कि उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओ को निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है:-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	गाटा संख्या	रकबा	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
	बैजनाथ रामनेश		काजीपुर	612	1473.68 हे०	

4. यह कि उपरोक्त स्थिति संबंधित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारंभ के समय की है, एवं इसमे कालान्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त विवरण में निम्नवत बदलाव किया गया है, और की तिथि का विवरण निम्नवत है:-

6. यह की, भविष्य में यदि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि कय की जाती है तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं। तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।



निशाल ५११५
ह० सचिव

ह० अध्यक्ष